

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

खाद्यान्न पर्ची हेतु झोन कार्यालयों पर लये जा रहे हैं आवेदन पात्रता पर्ची हेतु 2389 नागरिकों ने जमा कराये आवेदन पात्र परिवारों के सत्यापन हेतु राशन- मत्र पोर्टल पर कार्य प्रारंभ

रत्नाम 18 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाऊन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु 14 से 18 मई तक नागरिकों ने निगम के झोन क्रमांक 1 पर 413ए झोन क्रमांक 2 पर 511ए झोन क्रमांक 3 पर 735 व झोन क्रमांक 4 पर 730 इस तरह कुल 2389 आवेदन जमा कराये। प्राप्त आवेदनों के पात्र परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही राशन- मत्र पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। अस्थायी पात्रता पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन कार्यालयों पर प्रातः 8:00 बजे से आवेदन व आवश्यक दस्तावेज लये जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया के एनएफएसए 2013 अन्तर्गत 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अन्तर्गत समिक्षा कर्या गया है। को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाऊन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ए झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड ए झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान भवन व झोन क्रमांक 4 हरमाला सम्पवेल भवन पर प्रातः 8:00 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन लये जायेंगे। हितग्राहियों हेतु आवेदन की व्यवस्था झोन कार्यालयों पर की गई है हितग्राही को वड-19 की गाईड लाईन का पालन कर व मास्क लगाकर को अपने साथ समग्र आई.डी.ए आधार कार्ड व 24 श्रेणियों में से कसी भी एक श्रेणी के दस्तावेज की छाया प्रति साथ में लावें।

खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्वो के लये 24 श्रेणी क्रमशः समस्त बीपीएल परिवारए वना धकार पैधारीए समस्त भू महीन कोटवारए मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचत जाति के परिवारए मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचत जनजाति के परिवारए वर्ष 2013.14 में प्राकृतिक आपदा में प्रभा वत परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधक होए समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमक हैं एव उन पर आश्रत परिवारों के सदस्यए बंद पड़ी मलों में नियोजित पूर्व श्रमकए बीड़ी श्रमक कल्याण निधी अधनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमकए ग्रामण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत भू महीनए खेतीहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रत परिवार के सदस्यए साइकल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकल रिक्शा हाथ ठेला चालक एवं आश्रत परिवारों के सदस्यए घरेलू कामकाजी महिलाएँए फेरीवाले स्ट्रीट वेण्डरए नगरीय निकायों के पंजीकृत केश शल्पीए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रत परिवारों के सदस्यए अनाथ आश्रम निरा श्रत/वकलांग छात्रावासों में निवासरत् बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवारत् वृद्धजनए पंजीकृत बहु वकलांग एवं मंदबुद्धी व्यक्तिए रेलवे में पंजीकृत कुलीए मंडयो में अनुज्ञाप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीए कुटीर एवं ग्रामोधोग वभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शल्पीए एचआईव्ही (एड्स) संक्र मत व्यक्ति (जो स्वेच्छा से लाभ लेना चाहते हो)ए मत्सय पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समतियों में पंजीकृत परिवार/ सदस्यए पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक व वमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्धघुम्मकड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचत जाति/जनजाति परिवारों से छूटे हुए हैं।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में क्या जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 18 मई। को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टैक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया के नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टैक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से 112 कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निय मत रूप से पानी में 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है ता के वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

होम आईसोलेशन मरीजों को मे ड सन कट का वतरण

39 मरीजो को कया मे ड सन कट का वतरण

मरीज के परिजनों को 47 मे डकल कट का वतरण

रतलाम 18 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मे ड सन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मे डकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 18 मई को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 50 मे ड सन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलो वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मे डकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 39 मरीजो को मे डकल कट का वतरण घर पर कया गया। 1 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया ए 3 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 4 मरीजो को पूर्व से ही मे ड सन

कट प्राप्त होना पाया गया तथा 3 मरीजों के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये। इसके अलावा 47 में डसीन कट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 112 कनटैनमेंट झोन बनाये

रत्नाम 18 मई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमत मल रहे हैं उस क्षेत्र को कनटैनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 93 कनटैनमेंट झोन बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 18 मई तक टाटा नगर में 2ए तेजा नगर में 2ए ओझाखालीए प्रताप नगरए प्रताप नगर एक्टेंशनए प्रताप नगर एक्टेंशन में मकान नम्बर 5ए 19 व 30ए औं फसर्स कॉलोनीए बालाजी नगरए थावरिया बाजारए वकील कालोनीए ब्राम्हणों का वासए वेदव्यास कालोनी में 4ए गुलमोहर कॉलोनीए देवरादेव नारायण नगरए जवाहर नगरए डॉंगरे नगरए मोहन नगरए अलकापुरी अम्बे चौक के पासए आदर्श नगर गली नम्बर 3ए सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2ए दीनदयाल नगर मुख्य मार्गए दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196ए दीनदयाल नगर राधाकृष्ण स्कूल के पासए शास्त्री नगर में 2ए राजपूत बोर्डिंग के पास 2ए महेश नगरए सन सटी कॉलोनीए दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2ए सलावटो का वासए कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कॉलोनीए अम्बिका नगरए राजीव नगरए सुयोग परिसरए थावरिया बाजारए वेदव्यास कालोनी अभलाषा अपार्टमेन्टए खटीक मोहल्लाए दीनदयाल नगर डी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4ए नेमीनाथ नगरए गौशाला रोडए सुतारो का वासए जवाहर नगरए जनता नगरए अलकापुरीए भोयरा बावडीए ताहेरपुराए अलकापुरी मुख्य मार्गए कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट के पासए जवाहर

नगरए बाणेश्वरी कॉलोनीए नेमीनाथ नगरए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरु कल्याण नगरए रिह्डी-सद्धी कालोनीए सद्धांचलम एक्सटेंशनए महेश नगरए इन्द्रा नगरए सैनिक कालोनीए टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8ए सलावटो का वास अन्न क्षेत्रए करमदी रोडए सुदामा परिसरए अजंता पेलेसए राजस्व कालोनीए खटीक मोहल्लाए हाथीखानाए खटीक मोहल्लाए गौशाला रोडए जाटो का वासए नौलाईपुराए टाटा नगर गली नम्बर 7ए अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1ए नूरी नगर उंकाला रोडए सूरजमल जैन नगरए लक्ष्मीनगर ए कालोनीए एम.बी. नगरए लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1ए ग्लोबस टाउन शपए अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व 27 व बी 279 में कन्टेनमेंट झोन बनाये गये हैं इस तरह 8 दिवस में 112 कन्टेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

‘ ‘ कल कोरोना-3ष अभ्यान के तहत 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम 18 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के परिवृश्य को दृष्टिगत रखते हुए ४ कल कोरोना-3ष अभ्यान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है जिसमें नगर निगम अधकारी/कर्मचारीए में डकल औं फसरए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

४ कल कोरोना-3ष अभ्यान के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34ए 35ए 36 व 31 हेतु टीआईटी रोड डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 30ए 31 व 32 हेतु जावरा रोड प्राथ मक स्कूल डी मार्ट रोडए वार्ड क्रमांक 27ए 28 व 29 हेतु दिलीप नगर डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 20ए 21ए 22ए 23ए 24ए 25ए 44 व 45 हेतु मोती नगर प्राथ मक स्कूलए वार्ड क्रमांक 26ए 37ए 38ए 39ए 40ए 41ए 42 व 43 हेतु हा कम वाड़ा डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 15ए 16ए 17ए 18ए 19ए 46ए 47ए 48 व 49 हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 1ए 2ए 3ए 4ए 5ए 6ए 7 व 8 अर्बन प्राथ मक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक 9ए 10ए 11ए 12ए 13 व 14 हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर को वड सहायता

केन्द्र का संचालन कया गया है। उक्त केन्द्रो पर नियुक्त नगर निगम अधकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अधकारी नियुक्त कया है। इसके अलावा को वड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मे डकल ऑ फसरए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए स्टॉफ नर्सए एनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो०नं० ९६८५३३००९४ व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो० नं० ७९९९६०६९१९ को नोडल अधकारी बनाया गया है।

को वड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दीखांसीस्प के लक्षण वाले रो गयों की प्राथ मक जांच एवं परामर्श दिया जायेगा ए गले में खराशसांस लेने में कठिनाईबदन दर्द/ सर दर्द के साथ बुखार यज्ञ $38^{\circ}\text{ब्ध}100\text{ण}4^{\circ}\text{थ्द्वादि}$ लक्षण युक्त रो गयों का लक्षण आधारित उपचार व संभा वत को वड-१९ रो गयों का निकटस्थ फीवर क्लीनिकपर रेफरल का कार्य कया जायेगा।

कसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खाँसीए सांस लेने में तकलीफए गले में खराशए कमजोरीए चक्करए दस्तए गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी को वड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम १८ मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टैक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कोंए गलयोंए भवन आदि को १ प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर १ लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। १८ मई को फायर लॉरी व टैक्टर ट्रॉली से मे डकल कालेजए

भक्तन की बावड़ी मुकितधामए त्रिवेणी मुकितधामए ब्राम्हणों का वासए धानमण्डी सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन क्या गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेजए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रए कलेक्टोरेटए ई-दक्ष कार्यालयए नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य क्या गया।

नगर के सेनेटराईज क्ये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य क्या जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिकाव क्या जा रहा है।

मे डकल कॉलेज में ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 18 मई। शासकीय मे डकल कॉलेज में उपचारत् को वड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर मे डकल कॉलेज में पंहूचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधकारी एवं कर्मचारियों द्वारा क्या जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा मे डकल कॉलेज के सु वधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सत्त निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मे डकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त क्या गया है जो मे डकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशत कया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशत कया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया कि दोनों पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशत कया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणत करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 18 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-ना लयों में कचरा डालते हैं व 50 मार्डक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मैंए नाले-ना लयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ज.सं. व. हेमन्त 18/05/2021 धन.पा.निगमए रतलाम.